उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–232 / 27–9–08 / स्टाम्प–35 / 08
देहरादूनः दिनांकः 15 सितम्बर, 2008

आदेश

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार / निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों में भू–खण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख / विक्रय विलेख के निबन्धन में तथा यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान / मैगा प्रोजैक्ट / विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थान / क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख–पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।

इस अधिसूचना में ''दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों'' का अभिप्राय औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–488 / VII-II-08 / 08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में परिभाषित है।

एल.एम. पन्त
सचिव।

संख्या–232 (1) / 27–9–08 / स्टाम्प–35 / 08, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. उप निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय / विधायी अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एस.एस. वल्दिया
उप सचिव।